



**THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY**



21 AGRAHAYAN 1945 (S)

No. 732

RANCHI, TUESDAY 12th DECEMBER, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION
12th December, 2023

Notification No.- 37/2023 – State Tax

S.O. No. 48, Dated 12th December, 2023--In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 as the class of persons who shall follow the following special procedure in respect of supply of goods made through it by the persons exempted from obtaining registration (hereinafter referred to as the said person) in accordance with the notification issued under sub-section (2) of section 23 vide notification number 34/2023- State Tax, dated the 12th December, 2023, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 46, dated the 12th December, 2023, namely: —

- (i) the electronic commerce operator shall allow the supply of goods through it by the said person only if enrolment number has been allotted on the common portal to the said person;
- (ii) the electronic commerce operator shall not allow any inter-State supply of goods through it by the said person;
- (iii) the electronic commerce operator shall not collect tax at source under sub-section (1) of section 52 in respect of supply of goods made through it by the said person; and

(iv) the electronic commerce operator shall furnish the details of supplies of goods made through it by the said person in the statement in **FORM GSTR-8** electronically on the common portal.

2. Where multiple electronic commerce operators are involved in a single supply of goods through electronic commerce operator platform, "the electronic commerce operator" shall mean the electronic commerce operator who finally releases the payment to the said person for the said supply made by the said person through him.

3. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of October, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal,
Secretary,
Commercial taxes Department.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना सं०.37/2023- राज्य कर

एस. ओ. सं. 48, दिनांक 12 दिसम्बर, 2023--झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक को अधिसूचित करती है जिससे ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है जो झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 46, तारीख 12 दिसम्बर 2023 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 34/2023- राज्य कर, तारीख 12 दिसम्बर 2023 द्वारा धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसरण में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थात:-

- (i) इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति को केवल तभी अनुज्ञात करेगा, यदि उक्त व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर नामांकन संख्या का आबंटन किया गया है;

- (ii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की किसी अंतर-राज्यिक पूर्ति को अनुज्ञात नहीं करेगा ;
- (iii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के संबंध में धारा 52 की उपधारा (1)के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण नहीं करेगा ; और
- (iv) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप **जीएसटी आर-8** में विवरण के रूप में प्रस्तुत करेगा ।

2. जहां इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक प्लेटफार्म के माध्यम से मालों की एकल पूर्ति में बहु इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अंतर्वर्तित है, "इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक" से ऐसा इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक अभिप्रेत होगा जो अंतिम रूप से उक्त व्यक्ति को उसके माध्यम से उक्त व्यक्ति द्वारा की गई उक्त पूर्ति के लिए संदाय जारी करेगा ।

3. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वांकर/जी०एस०टी०/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।
